तारीख हुक्म	हुक्म
	11/10/ लिया केरीकेन उप०/P.O. एवं ..... पत्रावली दिनांक 6/12/17 को पेश हो। वकील प्रार्थी ..... उपस्थित।
6/12/17	साक्षिक आदेश दिनांक 19/5/17 की अपील में पत्रावली ..... Noted हो। दिनांक 20/2/18 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
20/2/18	बकुलाय ..... साहब ..... पत्रावली ..... 30/4/18 को पेश हो।
30/4/18	प्रचारण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/वैकल्पिक कोर्ट में रखने ..... पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ..... दाखिल पर दिनांक 25/6/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
25/6/18	पत्रावली के मध्य कोर्ट के पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी सं. 1/04 कादर्स वकील उपस्थित नहीं हैं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण तथ्य के सम्बन्ध में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनता पाया जाता है। अतः अ.आ. प्रार्थी स्वीकार किया जाता है दिनांक 19.5.17 को जारी स्थगन आदेश की पुष्टि सहित दावा स्थायी (Confirm) किया जाता है। पत्रावली रिकार्ड अन्य किसी लंबित हो तो सुनवाई। SDO

Scanned by CamScanner